न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–25/2025

उनवान

संतोष रैगर पुत्र बंशीलाल, जाति रैगर, निवासी ग्राम सुठोली, जावद नीमच, हाल निवासी ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी –

बनाम

1. अशोक पुत्र भोलाराम
2. विमला देवी पत्नी सुरेश कुमार
   समस्त जाति रैगर, निवासीयान रैगरों की ढाणी, ग्राम चौंप, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
3. सांवरा पुत्र धन्नराम, जाति खटीक, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर राजस्थान।
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक शाखा जाटावाली, जरिये शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक शाखा जाटावाली जिला जयपुर राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय स्टेशन रोड चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–28.04.2025

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2025 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक गक 24.04.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि खाता संख्या 135 के खसरा नम्बर 1493/2 रकबा 1.57 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 1.57 है0 एवं नया खाता संख्या 293 के खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 1495 रकबा 0.69 है0 कुल किता 2 कुल रकबा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं, जयपुर (ग्रामीण)

1.33 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बरवाडा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. संतोष पुत्र बंशीलाल जाति रैगर हिस्सा पूर्ण सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1494/2 रकबा 0.5050 है0 किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1495/2 रकबा 0.5825 है0 किस्म बारानी 1, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.0875 है0 किस्म बारानी 1, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जो नक्शा में पीले रंग से दर्शाया गया है।

2. अशोक पुत्र भोलाराम हिस्सा 4900/18125 जाति रैगर, रैगरो की ढाणी चौप तह0 आमेर, विमला देवी पत्नी सुरेश कुमार हिस्सा 9600/18125 जाति रैगर, रैगरों की ढाणी चौप तह0 आमेर, सावरा पुत्र धन्नाराम जाट खटीक हिस्सा 3625/18125 सा0 सामोद खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1493/2 रकबा 1.57 है0, किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1494/1 रकबा 0.1350 है0, किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 1495/1 रकबा 0.1075 है0, किस्म बारानी 1 कुल किता 03 का कुल रकबा 1.8125 है0 किस्म बारानी भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जो नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

हेतु निगरानी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश
फैसला हेतु दिनांक 28/4/25 को पेश हो

(हस्ताक्षर)

28/4/25 — प. वादी दिष्य तहसीलदार चौमू से रिपोर्ट प्राप्त हुवे जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई दौराने बहस मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमू के वादी का वाद अंकित डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फैसला शुमार होकर इन्द्राज रजिस्टर कर हो तथा दाखिल दफ्तर हो

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमू, जयपुर (ग्रामीण)

लय सहायक कलक्ट
:—RA / 2025 / 272
लदार,
सील चौमूं।
विषय:—मु0न0
बरक
उपरोक्त विषय
25 / 2025 उनवान संतोष
संशोधित निर्णय कर संशो
साथ मेजकर लेख है कि
नहीं हो तो उक्त डिक्री
संलग्न :— उक्तानु